



प्रेस नोट - दिनांक 16.11.2024

थाना दही, जनपद उन्नाव ।



शातिर टप्पेबाज को पुलिस ने किया गिरफ्तार

दो चैन, एक जोड़ी कान का झाला व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी उन्नाव व क्षेत्राधिकारी महोदया नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना दही पुलिस, एसओजी व सर्विलांस की संयुक्त टीम द्वारा शातिर टप्पेबाज को मय टप्पेबाजी किये गए गहने एवं घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 06.11.2024 को कुसमा शुक्ला पत्नी राज नारायण शुक्ला नि० आवास विकास कोलोनी थाना दही जनपद उन्नाव द्वारा थाना दही पर तहरीरी सूचना दी गई कि दिनांक 06.11.2024 को एक अज्ञात बाइक सवार युवक व एक पैदल युवक द्वारा टप्पेबाजी कर मेरे गहने उतरवा कर ले गये। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना दही पर मु०अ०सं० 241/24 धारा 303(2)/318(4) BNS पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 16.11.2024 को थानाध्यक्ष श्री संजीव कुमार, व०उ०नि० श्री दीनानाथ यादव, उ०नि० श्री अरविन्द कुमार सिंह मय हमराह फोर्स एवं एसओजी एवं सर्विलांस टीम द्वारा मु०अ०सं० 241/2024 में प्रकाश में आये अभियुक्त आजम मलिक पुत्र मोवीन मलिक उम्र करीब 35 वर्ष निवासी दरवार खुर्द थाना कैराना जनपद शामली को मुखबिर की सूचना पर पुरवा रोड निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे पुल के नीचे थाना दही जनपद उन्नाव से मो०सा० अपाचे UP 32 HE 2557 काले रंग की 200 सीसी के साथ गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से एक जोड़ा झाला कान का पीली धातु व एक अदद चैन पीली धातु जो दिनांक 06.11.2024 को समय करीब 15.00 बजे पर आवास विकास कालोनी थाना दही उन्नाव से एक महिला से टप्पेबाजी कर लिये गये थे बरामद हुए एवं थाना कोतवाली नगर क्षेत्र जनपद बाराबंकी में भी उपरोक्त अभियुक्त द्वारा एक चैन पीली धातु की चोरी कर ली गयी थी जो अभियुक्त के कब्जे से बरामद हुई है। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर जनपद बाराबंकी में मु०अ०सं० 1003/2024 धारा 316(2)/318(4) BNS पंजीकृत है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु०अ०सं० 241/24 में धारा 317(2) BNS की बढोत्तरी करते हुए आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है एवं उक्त अभियुक्त का एक दोस्त अली मिर्जा पुत्र दरवेज जाफिरी निवासी पीजीआई लखनऊ मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसकी गिरफ्तारी

के प्रयास किये जा रहे हैं। मौके से बरामद अपाचे मोटरसाइकिल को अन्तर्गत धारा 207 MV Act. में ई - चालान के माध्यम से सीज किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. आजम मलिक पुत्र मोवीन मलिक उम्र करीब 35 वर्ष निवासी दरवार खुर्द थाना कैराना जनपद शामिली

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद चैन व एक जोड़ा कान का झाला पीली धातु सम्बन्धित मु0अ0सं0 241/2024 धारा 303(2)/318(4)/317(2) BNS थाना दही जनपद उन्नाव,

2. एक अदद चैन पीली धातु सम्बन्धित मु0अ0सं0 1003/2024 धारा 316(2)/318(4) BNS थाना कोतवाली नगर बाराबंकी

3. एक अदद अपाचे मोटरसाइकिल

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त –

1. मु0अ0सं0 245/11 धारा 41/411 IPC थाना सारनाथ बाराणसी,

2. मु0अ0सं0 463/16 धारा 380/411 IPC थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ,

3. मु0अ0सं0 633/16 धारा 411/414 IPC थाना जीआरपी चारबाग लखनऊ,

4. मु0अ0सं0 451/17 धारा 302/120B/34 IPC थाना सरोजनी नगर लखनऊ,

5. मु0अ0सं0 476/17 धारा 307 IPC थाना सरोजनी नगर लखनऊ,

6. मु0अ0सं0 477/17 धारा 3/25 A Act. थाना सरोजनी नगर लखनऊ,

7. मु0अ0सं0 148/21 धारा 395/412/34 IPC थाना सुशान्त गोल्फ सिटी लखनऊ,

8. मु0अ0सं0 153/21 धारा 3/25 A Act. थाना चिनहट लखनऊ,

9. मु0अ0सं0 24/24 धारा 454/380/411 IPC थाना बाबू बनारसी दास लखनऊ,

10. मु0अ0सं0 27/24 धारा 457/380/411 IPC थाना बाबू बनारसी दास लखनऊ,

11. मु0अ0सं0 36/24 धारा 457/380/411 IPC थाना बाबू बनारसी दास लखनऊ,

12. मु0अ0सं0 1003/2024 धारा 316(2)/318(4) BNS थाना कोतवाली नगर बाराबंकी.

13. मु0अ0सं0 241/2024 धारा 303(2)/318(4)/317(2) BNS थाना दही उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री संजीव कुमार

2. व0उ0नि0 दीनानाथ यादव

3. उ0नि0 अरविन्द कुमार सिंह

4. का0 तेजवीर

5. का0 अजय कुमार

6. का0 प्रदीप कुमार

एसओजी टीम-

- 1.प्रभारी नि० श्री जय प्रकाश यादव
- 2.हे०का० आशीष मिश्रा,
- 3.हे०का० सतेन्द्र कुमार,
- 4.आरक्षी रवी,
- 5.आरक्षी गौरव चौधरी,
- 6.आरक्षी विकास भदौरिया,
- 7.आरक्षी नितीश कुमार,
- 8.आरक्षी यशवीर सिंह,
- 9.आरक्षी हरेश बालियान
- 10.आरक्षी शुभम कुमार

सर्विलांस टीम-

- उ०नि० श्री मुन्ना कुमार
हे०का० राधेश्याम



हत्या के प्रयास के दो आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना बेहटा मुजावर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित दो अभियुक्तगण को घटना में प्रयुक्त एक अदद तब्बल बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- दिनांक 15.11.2024 को वादी सूरज पुत्र श्री किशन नि० पवाँरन खेडा मजरा तकिया निगोही थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव ने तहरीरी सूचना दी कि दिनांक 14.11.2024 को शाम 7 बजे करन पुत्र कमलेश व विजय कुमार पुत्र राम किशोर ने मेरे घर चढाई करके आये और मुझे गाली गलौज करने लगे मैंने विरोध किया तो तब्बल से जान लेवा हमला किया जिसे मेरे सिर में चोट आयी शोर करने पर मेरा भाई अजीत बचाने आया तो उसे भी मारा व जान से मारने की धमकी दी तथा अभी तक मैं अपना इलाज फत्तेपुर में सरकारी अस्पताल में इलाज करा रहा था । तहरीर के आधार पर मु०अ०सं० 325/2024 धारा 109(1)/115(2)/352/351(3) बी०एन०एस० का 1. करन पुत्र कमलेश, 2. विजय कुमार पुत्र रामकिशोर निवासी गण ग्राम पवाँरन खेडा मजरा तकिया निगोही थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव के विरुद्ध पंजीकृत होकर विवेचना व०उ०नि० मोर मुकुट पाण्डेय द्वारा सम्पादित की जा रही है। साक्ष्य संकलन व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी के क्रम में अभियुक्तगणों को आज दिनांक 16.11.2024 को ग्राम पवारनखेड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया तथा घटना में प्रयुक्त तब्बल भी अभियुक्तगण की निशांदाही पर बरामद किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. विजय कुमार पुत्र रामकिशोर उम्र करीब 33 वर्ष निवासी ग्राम पवारनखेड़ा मजरा तकिया निगोही थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव
2. करन पुत्र कमलेश उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम पवारनखेड़ा मजरा तकिया निगोही थाना बेहटा मुजावर जिला उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. व०उ०नि० मोर मुकुट पाण्डेय
2. हे०का० जितेन्द्र सिंह,
3. का० प्रिंस कुमार,



हत्या के प्रयास का आरोपी गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 16.11.2024 को प्रार्थी तारिक अली पुत्र बाबू निवासी महोल्ला कजियाना थाना सफीपुर जिला उन्नाव द्वारा थाना सफीपुर पर प्रार्थी अपने कई परिवारीजनों के साथ दिनांक 13/11/2024 को रात लगभग 9 बजे मिलाद में शामिल होने के लिये घर से निकला था और मस्जिद के पास सड़क पर पहुँचा था तभी प्रार्थी व परिजनों आरिफ उर्फ बब्लू व बाबू तथा साकिब पुत्रगण अब्दुलबाकी अमन पुत्र आरिफ को पुरानी जमीनी रंजिश को लेकर बहारुद्दीन, सिबारुद्दीन, इजारुद्दीन, सिफाउद्दीन, बहारून पुत्रगण व पुत्री सरीफुद्दीन, सरीफुद्दीन पुत्र मखदूम, मंसूर आलम, फैजआलम, पुत्रगण रसूलबक्स, शीबू तथा सदाकत पुत्रगण स्व० तबारक, मुकर्रम व अदनान तथा अरसलान पुत्रगण मुस्तफा, फराज पुत्र सज्जाद तथा इक्तेदार पुत्र दिलदार सभी निवासीगण मो० कजियाना थाना व कस्बा सफीपुर जिला उन्नाव तथा कुछ अज्ञात लोगो ने एक राय होकर प्रार्थीगणों की हत्या करने कि नियत से घेराव करके गाली गलौज व मारपीट की। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सफीपुर पर मु०अ०सं० 297/2024 धारा 126(2)/191(2)/191(3)/190/131/109/118(1)/117(2)/115(2)/352/351(3) B.N.S पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 16.11.2024 को थाना सफीपुर पुलिस द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त अभियुक्त इजाहरुद्दीन पुत्र शरीफुद्दीन निवासी मो० कजियाना कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष को घटना में प्रयुक्त लोहे के रोड को बरामद कर गुड्डू बैटरी वाली गली से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

इजाहरुद्दीन पुत्र शरीफुद्दीन निवासी मो० कजियाना कस्बा व थाना सफीपुर जनपद उन्नाव उम्र 19 वर्ष

बरामदगी- घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

प्रभारी निरीक्षक श्याम नारायण सिंह
उ०नि० अनुपम सिंह भदौरिया
का० मुकेश मौर्या
का० राघवेन्द्र गुर्जर,





प्रेस नोट - दिनांक 16.11.2024

थाना सफीपुर, जनपद उन्नाव ।



वारंटी अभियुक्त व अभियुक्ता गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सफीपुर पुलिस द्वारा दो वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण- आज दिनांक 16.11.2024 उ०नि० सीताराम मय हमराह का० रोहित यादव व म०का० सोनिया द्वारा वारण्टी अभियुक्त रामू पुत्र रामनाथ उम्र करीब 50 वर्ष व वारण्टी महिला अभियुक्ता फूलमती पत्नी रामनाथ उम्र करीब 58 वर्ष निवासीगण ग्राम दरौली थाना सफीपुर जनपद उन्नाव सम्बन्धित केस नं० 7798/22 अपराध सं० 85/01 धारा 406/504/506 भादवि थाना सफीपुर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट सफीपुर को घर के बाहर से गिरफ्तार कर मा० न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. रामू पुत्र रामनाथ उम्र करीब 50 वर्ष
2. फूलमती पत्नी रामनाथ उम्र करीब 58 वर्ष निवासीगण ग्राम दरौली थाना सफीपुर जनपद उन्नाव

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

उ०नि० सीताराम
का० रोहित यादव
म०का० सोनिया

